

# फर्द गिरफ्तारी

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 64 के अंतर्गत)

बसिलसिले तफ्तीश एफ.आई.आर. क्रमांक

दिनांक \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

जुर्म

दफा \_\_\_\_\_

राजस्थान

फोरेस्ट

एक्ट

1953

नमुकाम \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

समय \_\_\_\_\_

द्वारा वनधिकारी \_\_\_\_\_

रुबरू स्टाफ

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

(4) \_\_\_\_\_

एव मोतबिरान

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

(4) \_\_\_\_\_

उत्त एफ.आई.आर. के

केस

मे

मुल्जिम श्री \_\_\_\_\_

पुत्री

श्री \_\_\_\_\_

जाति \_\_\_\_\_

उम्र \_\_\_\_\_

निवासी \_\_\_\_\_

पुलिस

थाना \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_

की

जुर्म

दफा \_\_\_\_\_

राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 मे धारा 64 (1) राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953

के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

शारीरिक हालत मुल्जिम

1. पहनाव
2. रंग
3. शरीर का विवरण
4. विशेष विवरण
5. कद मुल्जिम

को जामा तलाशी फर्द अलग से कायम की जाकर शामिल मिसल कीजवेगी । उत्त मुल्जिम की गिरफ्तार फर्द की जाकर हाजरीन को सुनाई गई । सबने यही तसलीम को । अतः बतौर साक्षी निशानी हस्ताक्षर ली गयी ।

हस्ताक्षर साक्षी

हस्ताक्षर अधिकारी

# फर्द जमातलाशी

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 64 के अंतर्गत)

मुल्जिम श्री \_\_\_\_\_ पुत्र \_\_\_\_\_  
जाति \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ पुलिस पु.थाना \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ को बसिलसिले तफ़्तीश एफ.आई.आर. न.- \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_ समय \_\_\_\_\_ पर।

रुबरू स्टाफ (1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 की धारा \_\_\_\_\_ का जुर्म करने पर  
राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 में धारा 64 के अन्तर्गत गिरफ़्तार कर उक्त हजरीन के समक्ष मुल्जिम की जामा तलाशी श्री  
\_\_\_\_\_ से लिवाई गई  
तो शारीरिक कपड़े, पहनाव के अतिरिक्त निम्नलिखित सामान मुल्जिम की तहवील से प्राप्त हुआ है। फर्द जमातलाशी हाजरीन  
को पढ़ाकर, सुनाकर, बाद तसल्ली सभी के सही तस्लीम करने पर हस्ताक्षर/ निशानी अंगूठा बतौर साक्षी लिए गये।

विवरण सामान :-

## फर्द अभिग्रहण

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 वन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 के अंतर्गत)

बसिलसिले तफ्तीश एफ.आई.आर. क्रमांक

दिनांक \_\_\_\_\_

जुर्म दफा \_\_\_\_\_ राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953/ वन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम 1972  
नमुकाम \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_ समय \_\_\_\_\_

द्वारा वनधिकारी \_\_\_\_\_

रुबरू हमराहिवान (स्टाफ) (1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

एम मौतबिरान सर्व (1) श्री \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

निम्नलिखित सामान राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953/ वन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम की जुर्म दफा \_\_\_\_\_

के जुर्म एक्ट की धारा 52(1) / 50(1) सी द्वारा प्रदत्त अधिकारो के अंतर्गत कब्जे सरकार ली गयी तथा कब्जे मे लिए गए सामान पर पहिचान हेतु \_\_\_\_\_ चिन्ह लगाई गई ।

उक्त वर्णित सामान अभिग्रहण बनाई जाकर हाजरीन को सुनाई गई जो सबने सुन कर बाद तसल्ली की अतः बतौर साक्षी हस्ताक्षर/ निशानी ली गयी।

# (राजस्थान सरकार)

## वन-विभाग

### सुपुर्दनामा

बसिलसिले तफ्तीश एफ.आई.आर. नं. \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

लिख देनेवाला मैं \_\_\_\_\_ वल्द \_\_\_\_\_

कौम \_\_\_\_\_ साकिन \_\_\_\_\_

पुलिस थाना \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_ का हूँ जो कि आफिसर जंगल \_\_\_\_\_ ने तफ्तीश माल

नीचे लिखे मुताबिक गिरफ्त/ जब्त किया है। वह मेरे सुपुर्द आज तारीख \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_

सन \_\_\_\_\_ को किया है। मैं इस इकरार नामे के बमुजिब इसमाल को अपनेतांबे मे लेकर, इकरार करता हूँ

कि इसकी पूरी हिफाजत कर, जब भी कोई आफिसर जंगल तलब करेगा फोरन पेश करूंगा।

तारीख \_\_\_\_\_

तफ्तीश माल सुपुर्दशुदा \_\_\_\_\_

नाम गवाह जिनके रूबरू माल सुपुर्द किया गया।

दस्तखत या अंगूठा निशान

सुपुर्ददार के

## वन विभाग, राजस्थान

### फार्म दरखास्त एवजाना निस्बत जुर्म जंगल

मुझे फॉरेस्ट गार्ड \_\_\_\_\_ ने तारीख \_\_\_\_\_

बरोज \_\_\_\_\_ बवक़्त \_\_\_\_\_ लकड़ी काटते/  
\_\_\_\_\_ दरख्त काटते \_\_\_\_\_

चराई मवेशी करते/ \_\_\_\_\_ घास काटते  
जंगल \_\_\_\_\_ से गिरफ्तार किया गया है। मुझे जुर्म जेर दफा एक्ट  
जंगल \_\_\_\_\_ करना इकबाल है और मैं बखुशी खुद  
मुबलिग( एवजाना और) \_\_\_\_\_

कीमत माल गिरफ्तार शुदा देने को रजामंद हूँ जो मंजूर फरमाया जावे।

तारीख \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_ ई.

नाम गवाह :(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

दस्तखत या अंगूठा मुल्जिम

### रिपोर्ट अफ़सर एवजाना तजनीव कुनिन्दा

जनाबअली

मुल्जिम \_\_\_\_\_ वल्द \_\_\_\_\_ कोम \_\_\_\_\_

साकिन \_\_\_\_\_ को फॉरेस्ट गार्ड \_\_\_\_\_ ने तारीख \_\_\_\_\_

माह \_\_\_\_\_ सन 200 \_\_\_\_\_ बरोज \_\_\_\_\_ जुर्म  
जंगल करते हुए गिरफ्तार किया है और मुल्जिम ने जुर्म जंगल इकबाल कर बखुशी खुद मुबलिग  
\_\_\_\_\_ (एवजाना और) \_\_\_\_\_

कीमत अदाकर दिया है जिसकी रसीद मुल्जिम को दी गयी है। दरखास्त हाजा बिनावर मंजूरी  
इरसाल खिदमत आलिया है।

तारीख

नाम अफसर

## अज दफतर डिवीजनल फोरेस्ट आफिसर

बाद दर्ज राजिस्टर न. \_\_\_\_\_ वापसी होवे एवजाना मुबलिग रु. \_\_\_\_\_

कीमत माल रु. \_\_\_\_\_ मन्जुर है सो वसूल कर रकम हिसाब मे दर्ज की जावे।

तारीख \_\_\_\_\_ 200

डिवीजनल फॉरेस्ट आफिसर

राजस्थान सरकार वन विभाग

सीजन मार्का

(अंतर्गत धारा 52(I) राजस्थान वन अधिनियम 1953)

- सीजन करने वाले अधिकारी का नाम व पद
- स्थान
- दिनांक:
- समय :
- वन अपराध जिनके सन्देह में सीज किया \_\_\_\_\_
- अभियुक्त का नाम आदि
- सीज शुदा संपत्ति का विवरण
- जिस व्यक्ति के पास किया उसका नाम पता आदि

ह. साक्षी                      ह. उस व्यक्ति के जिसके कब्जे में सीज किया।                      अधिकारी के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार वन विभाग

सीजन मार्का

(अंतर्गत धारा 52(I) राजस्थान वन अधिनियम 1953)

- सीजन करने वाले अधिकारी का नाम व पद
- स्थान
- दिनांक:
- समय :
- वन अपराध जिनके सन्देह में सीज किया \_\_\_\_\_
- अभियुक्त का नाम आदि
- सीज शुदा संपत्ति का विवरण
- जिस व्यक्ति के पास किया उसका नाम पता आदि

ह. साक्षी                      ह. उस व्यक्ति के जिसके कब्जे में सीज किया।                      अधिकारी के हस्ताक्षर

वन विभाग, राजस्थान

First Information Report

अपराध को प्रारम्भिक सूचना

तृतीय प्रति

69

पुस्तक क्रमांक 18

पृष्ठ क्रमांक

1. तारीख रिपोर्ट \_\_\_\_\_
2. दोषी का नाम, जाति एवं निवास स्थान \_\_\_\_\_

---

3. अपराध का विवरण

4. घटना का स्थान

5. दिनांक अपराध करने का

6. विवरण पैदावार जंगल जो एकड़ो गर्द व जो कार्यवाह की गयी \_\_\_\_\_

7. किसको सुपुदंवी में र्था गया \_\_\_\_\_

8. नाम साक्षी 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

रिपोर्ट कुनिन्दा को सूचना मिलते के 24 घन्टे के अन्दर यह सूचना खाना करनी चाहिये।।



## मौका पंचनामा

(राजस्थान वन अधिनियम 1983 की धारा 72 (सी) के अंतर्गत)

बसिलसिले तफ्तीश एफ.आई.आर. क्रमांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

बमुकाम \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_ समय \_\_\_\_\_

द्वारा वनधिकारी \_\_\_\_\_

रुबरू हम राहियान (स्टाफ) (1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

हालात मौका \_\_\_\_\_

पर्चा मौका रति किया जाकर हाजरीन को पढ़कर सुनाया गया जो सबने सुनकर सही होना तसलीम किया।

अतः बतौर साक्षी हस्ताक्षर/निशानी ली गयी।

## वन विभाग राजस्थान

### बयान-फार्म

नाम \_\_\_\_\_ पिता का नाम \_\_\_\_\_

जाति \_\_\_\_\_ निवास \_\_\_\_\_

पुलिसथाना \_\_\_\_\_ तहसील \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_ पेशा \_\_\_\_\_ उम् \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_ बाद दरियप्त पर बयान करता हूँ कि आज दिनांक

\_\_\_\_\_ कोबाबत \_\_\_\_\_ स्थान \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ पर राजस्थान वन अधिनियम 1953

की धारा \_\_\_\_\_ के अंतर्गत \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (अपराध का विवरण) मुझे \_\_\_\_\_

ने गिरफ्तार किया है।

## फर्द अधिग्रहण

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 वन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 के अंतर्गत)

बसिलसिले तफ्तीश एफ . आई . आर . क्रमांक ..... दिनांक .....

जुर्म दफा ..... रा. फोरेस्ट एक्ट 1953 / वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972  
..... बमुकाम .....  
..... दिनांक..... समय ..... द्वारा वनाधिकारी  
.....रुबरू हमरहिवान (स्टाफ ) (1 ) .....

(2 ) .....

(3 ) .....

एवं मौतवीरान सर्व (1) श्री .....

(2 ) .....

(3 ) .....

निम्नलिखित सामान राजस्थान फारेस्ट एक्ट 1953 वन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम की जुर्म दफा.....

के जुर्म एक्ट की धारा 52 (1)/50 (1) सी द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कब्जे सरकार ली गई तथा कब्जे में लिए गए सामान पर पहिचान हेतु चिह्न लगाई गई।

वक्त वर्णित सामान अधिग्रहण कर फर्द अधिग्रहण बनाई जाकर हाजरीन को सुनाई गई जो सबने सुन कर बाद में तसल्ली सही बाद तसलीम की अतः बतौर साक्षी हस्ताक्षर / निशानी ली गई।

## नजरी नक्शा

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 (सी) के अंतर्गत)

बसिलसिले तफ्तीश एफ . आई . आर . क्रमांक ..... दिनांक ..... बमुकाम  
.....

दिनांक ..... समय ..... द्वारा  
वनाधिकारी .....

रुबरू स्टाफ (1) ....

(2) ....

(3) ....

(4) ....

हालात मौका जुर्म (नजरी नक्शा )

उप वन संरक्षण राजस्थान

बयान फार्म

नाम पिता का नाम जाति निवास पुलिस थाना तहसील जिला पेशा उम्र दिनांक \_\_\_\_\_  
बाद दरियाफ्त पर बयान करता हूँ कि आज दिनांक \_\_\_\_\_ को बाक्त स्थान  
\_\_\_\_\_ पर राजस्थान वन्य अधिनियम 1953 की धारा  
\_\_\_\_\_ वन प्राणी अधिनियम 1972 की धारा (अपराध का विवरण)  
मुझे \_\_\_\_\_ ने गिरफ्तार किया गया है ।

हस्ताक्षर बयान कर्ता

## मुचलका - मुल्जिम

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 65)

मैं..... पुत्र ..... जाति ... (निवासी ) ..... पुलिस थाना..... तहसील  
..... जिला .....

का हूँ जो कि मैं इस तहरीर की रु. से इकरार करता हूँ कि (मुझे अफसर जंगलात ने आज दिनांक ..... को जुर्म (जंगल ) धारा ..... करते हुए गिरफ्तार किया है। मैं रु. ....का मुचलका पेश कर (इस तहरीर की रु. मैं ) इकरार करता हूँ कि अफसर जंगलात या मजिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन हाजिर होऊँगा और इसमें चूक हो तो कसूरवार रहूँगा, और ऐसा होने पर मेरा मुचलका मुबलिग रु . .... (रु ..... ) जब्त सरकार किये जाने की आवश्यक कार्यवही की जाने हेतु पाबन्द रहूँगा। हाजिर मुचलका लिख दीना जो सनद रहे वक्त पर काम आवे। )

ह. साक्षी

(1) .....

(2) .....

ह. मुल्जिम

## फर्द जमानत हाजरी

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 65)

मैं..... पुत्र ..... जाति ... (निवासी ) ..... पुलिस थाना..... तहसील  
..... जिला ..... का हूँ।

जो की अफसर जंगलात ..... ने श्री  
..... पुत्र श्री ..... जाति ..... निवासी ..... पु. थाना .....  
जिन्हें वन अपराध के संबन्ध में गिरफ्तार किया है मैं अच्छी तरह जनता हूँ। और आज तारीख को इसकी मुबलिग  
रु . .... (रु ..... ) की देकर इकरार करता हूँ कि अफसर जंगलात या मजिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन  
हाजिर करूँगा। अगर हाजिर नहीं करूँ तो जमानत मुबलिग ..... रु. जब्त सरकार की जावें। इसमें मेरा उज्र  
नहीं होगा।

तारीख

गवाह :

(1) .....

(2) .....

ह. मुल्जिम

## मुचलका - मुल्जिम

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 65)

मैं..... पुत्र ..... जाति ... (निवासी ) ..... पुलिस थाना..... तहसील  
..... जिला .....

का हूँ जो कि मैं इस तहरीर की रु. से इकरार करता हूँ कि (मुझे अफसर जंगलात ने आज दिनांक ..... को जुर्म (जंगल ) धारा ..... करते हुए गिरफ्तार किया है। मैं रु. ....का मुचलका पेश कर (इस तहरीर की रु. मैं ) इकरार करता हूँ कि अफसर जंगलात या मजिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन हाजिर होऊँगा और इसमें चूक हो तो कसूरवार रहूँगा, और ऐसा होने पर मेरा मुचलका मुबलिग रु . .... (रु ..... ) जब्त सरकार किये जाने की आवश्यक कार्यवही की जाने हेतु पाबन्द रहूँगा। हाजिर मुचलका लिख दीना जो सनद रहे वक्त पर काम आवे। )

ह. साक्षी

(1) .....

(2) .....

ह. मुल्जिम

## फर्द जमानत हाजरी

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 65)

मैं..... पुत्र ..... जाति ... (निवासी ) ..... पुलिस थाना..... तहसील  
..... जिला ..... का हूँ।

जो की अफसर जंगलात ..... ने श्री  
..... पुत्र श्री ..... जाति ..... निवासी ..... पु. थाना .....  
जिन्हें वन अपराध के संबन्ध में गिरफ्तार किया है मैं अच्छी तरह जनता हूँ। और आज तारीख को इसकी मुबलिग  
रु . .... (रु ..... ) की देकर इकरार करता हूँ कि अफसर जंगलात या मजिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन  
हाजिर करूँगा। अगर हाजिर नहीं करूँ तो जमानत मुबलिग ..... रु. जब्त सरकार की जावें। इसमें मेरा उज्र  
नहीं होगा।

तारीख

गवाह :

(1) .....

(2) .....

ह. मुल्जिम